

दिनांक-03.06.2022 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आहूत आयोग कार्यालय की आंतरिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गई।

- आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आयोग में लंबित शिकायतों के जल्द निपटारा और जनसाधारण की सुविधा के लिए जिलों में जाकर मामलों का निष्पादन किया जाए। विमर्शोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में ऐसे जिले, जिनसे सम्बन्धित 10 से अधिक मामले लंबित हों, वहाँ जिला मुख्यालय में सुनवाई किया जाएगा। इस प्रकार के कार्रवाई से अधिकारियों का समय बचेगा, साथ ही परिवादी को भी सुविधा होगी।
- इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में सुनवाई के लिए आयोग जाएगा, उन जिलों के निर्वाचित मुखिया के साथ बैठक कर उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारों एवं इस अधिनियम की क्रियान्वयन में उनका योगदान तथा दायित्व से अवगत कराया जाएगा। जिला भ्रमण के दौरान सम्बन्धित कार्यालय/केन्द्र का औचक निरीक्षण कर यथा-स्थिति की भी जानकारी प्राप्त करने पर सहमति बनी।
- सदस्य सचिव इस दिशा में कार्य योजना बनाएँगे और सम्बन्धित आंकड़ा उपलब्ध कराएँगे। आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् किन जिलों में कब-कब सुनवाई और जागरूकता शिविर आयोजित करना है, इसका निर्धारण किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।